प्रेस नोट दिनाँक- 22.11.2023

(1). आज दिनाँक 22.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को **"मिशन शक्ति"** व **''शक्ति दीदी''** के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा-स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप पुलिस टीम द्वारा 01 चोर को चोरी के 07 अदद विभिन्न कम्पनियों के एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.11.2023 को उ0नि0 श्री अजहर जमाल व उनकी टीम द्वारा दौराने क्षेत्र भ्रमण ज़ीरो पॉइंट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बहद कस्बा भरतकूप से मुखबिर की सूचना पर आने जाने वाले ट्रक चालकों को चोरी का मोबाइल फोन बेचने का प्रयास करते समय 21.30 बजे चोरी के 07 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनियों के व 01अदद तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के अभियुक्त पिंटू पुत्र मनुवा आरख निवासी ग्राम करारी थाना भरतकूप जिला चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में मु0अ0स0 159/2023 धारा 41/411 ipc व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगी-</u>

1. 07 अदद विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोन
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर,01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री अजहर जमाल
2. मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह
3. आरक्षी राकेश कुमार
4. आरक्षी विकास यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी गनीवां उ0नि0 श्री राजोल नागर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लवकुश सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम सिकरी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 62 अदद देशी क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1. चौकी प्रभारी गनीवां उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना राजापुर
2. आरक्षी प्रदीप कुमार

(5). यातायात माह के परिपेक्ष्य में आज दिनाँक-22.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात निरीक्षक श्री मनोज कुमार एवं यातायात पुलिस द्वारा सेठ मूलचंद इंटर कॉलेज कर्वी में छात्रों के साथ यातायात जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस संगोष्ठी में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी एवं पालन करने हेतु बताया । सभी से कहा गया कि अपने परिजनों से यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताए तथा 02 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु बताएं । वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाये । साइकिल व वाहन से स्कूल आते समय हमेशा अपने बायीं ओर चले एवं सावधानीपूर्वक वाहन चलाए ।

इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, टीएसआई श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व अन्य शिक्षक स्टाफ विद्यालय के छात्र-छात्राओं मौजूद रहे ।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 721/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी शैलेश पासी पुत्र मनिया पासी निवासी फकीराबाद थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को जेल में बितायी गई अवधि व 2000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 09.07.2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मऊ श्री चिरन्जीव मोहन द्वारा ग्राम मटियारा के पास नहर से अभियुक्त शैलेश उपरोक्त को 01 अदद तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 721/2009 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी शैलेश पासी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 17.08.2009 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।